



संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006 (फाल्गुन 30, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री राम बहादुर सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्रीमती मैमूना सुल्तान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री बलराज सिंह तथा श्री प्रेम सिंह के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री लाखन सिंह बघेल, श्री मनमोहन शाह बट्टी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री बाबूलाल गौर ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10. 48 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.53 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 129 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 113 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने बाबई जिला होशंगाबाद स्थित एग्रो फार्म की जगह पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय खोले जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत की।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य ने बुरहानपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य ने खण्डवा जिले में कावेरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिये पांच सौ छः करोड़, चौहत्तर लाख, चार हजार रुपये, तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या

कटौती प्रस्ताव क्रमांक

मांग संख्या - 55

3,5,7,8

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री नानालाल पाटीदार
- (2) श्री शिवप्रसाद राठौर
- (3) श्री आरिफ अकील

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

- (4) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष
- (5) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 13	कृषि के लिए दो सौ चौसठ करोड़, तैतीस लाख, पैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए चवालीस करोड़, छब्बीस लाख, सत्तानवे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 82	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए छत्तीस करोड़, पचास लाख, चौतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	2,6,14
मांग संख्या - 54	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री रामनिवास रावत
- (2) श्री ओम प्रकाश सखलेचा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

- (3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
- (4) श्री बहादुर सिंह चौहान

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए तीन सौ निन्यानवे करोड़, छियालीस लाख, सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए चौबीस करोड़, चवालीस लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए पचास लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए दस करोड़, छब्बीस लाख, सतानवे हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए छः सौ सोलह करोड़, चौबीस लाख रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 8	1
मांग संख्या - 9	2,5
मांग संख्या - 35	2
मांग संख्या - 51	2
मांग संख्या - 58	3,4,9

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री हरवंश सिंह

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री राजवर्धन सिंह

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान

(6) श्री सुखदेव पांसे

(7) श्री आरिफ अकील

(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(9) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. वक्तव्य

मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना प्रौद्योगिकि नीति के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या -27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिये सोलाह सौ अठारह करोड़, सत्तर लाख, बयासी हजार रूपये,

अनुदान संख्या -28 राज्य विधान मंडल के लिये पच्चीस करोड़, उनसठ लाख, नौ हजार रूपये,

अनुदान संख्या -29 विधि और विधायी कार्य के लिये एक सौ नब्बे करोड़, अट्ठाईस लाख, तैंतीस हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या -77 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिये चार सौ छब्बीस करोड़, छियानवे लाख, बयालीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 27	1,3,5,7,8,10,13,15
मांग संख्या - 28	1,3
मांग संख्या - 29	1,2,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल (चर्चा अपूर्ण)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

8. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 153 (2) के तहत अनुदान की मांगों पर कार्यवाही अपरान्ह 4.00 बजे तक समाप्त किया जाना चाहिए। अभी कई विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होना शेष है। सदन की अधिकतर परंपरा रही है कि चर्चा के उपरांत ही अनुदान की मांगों को स्वीकृति दी जाती है। सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का भी यही मत है कि सभी अनुदान की मांगों पर चर्चा हो।

अतः सदन के मत को ध्यान में रखते हुए मैं नियम - 153 (2) को शिथिल करते हुए अब 4.00 बजे के स्थान पर अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति देता हूँ।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

- (2) श्री किशोरी लाल वर्मा
- (3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
- (4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
- (5) श्री बहादुर सिंह चौहान
- (6) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

- (7) श्री आरिफ अकील
- (8) श्री ताराचंद बाबरिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या -14

पशु पालन के लिये एक सौ इकहत्तर करोड़, छियानवे लाख,
छः हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या

कटौती प्रस्ताव क्रमांक

मांग संख्या - 14

3,7

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री सोबरन सिंह बाबूजी
- (2) श्रीमती अर्चना चिटनिस
- (3) श्री रामलखन शर्मा
- (4) श्री आरिफ अकील

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री जगदाश देवड़ा, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 18 श्रम के लिये छियालीस करोड़, तिरपन लाख,
इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये छियालीस करोड़,
इकहत्तर लाख, ब्यासी हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 64 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के लिये
आठ सौ चार करोड़, बत्तीस लाख, उनहत्तर हजार रूपये,
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 18	1,2,6
मांग संख्या - 49	1,2
मांग संख्या - 64	4,5

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री लाल सिंह आर्य
- (2) श्री रामलखन शर्मा
- (3) श्रीमती सुधा जैन
- (4) श्री राजवर्धन सिंह
- (5) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
- (6) श्री मनोहरलाल राठौर

श्री जगदाश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) श्री रूस्तम सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या -63 अल्प संख्यक कल्याण के लिए दो करोड़, छियासी लाख, पांच हजार रुपये,
अनुदान संख्या -66 पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक सौ सोलह करोड़, सडसठ लाख,
चौवन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या -71 जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टैक्नालाजी)
के लिए तीन करोड़, अठासी लाख रुपये,
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 63	1,3
मांग संख्या - 66	2,3
मांग संख्या - 71	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री आरिफ अकील
- (2) श्री शंकरलाल तिवारी
- (3) श्री रामनिवास रावत
- (4) श्री दुर्गालाल विजय
- (5) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

श्री रूस्तम सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(8) श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 05 जेल के लिए इक्कहत्तर करोड़, बावन लाख, पचासी हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या

कटौती प्रस्ताव क्रमांक

मांग संख्या - 05

1,3,4

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
- (2) श्री लाल सिंह आर्य

श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 25 खनिज साधन के लिए दस करोड़, छियानवे लाख, सैतीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 26 संस्कृति के लिए पच्चीस करोड़, इकतालीस लाख, बानवे हजार रुपये,
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या

कटौती प्रस्ताव क्रमांक

मांग संख्या - 25

1,2,4

मांग संख्या - 26

2

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
- (2) श्री भूपेन्द्र आर्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(10) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिए तीन सौ पैतालीस करोड़, अट्ठाईस लाख, बाईस हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 47 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक सौ चौतीस करोड़, पच्चीस लाख, छियासठ हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या - 70 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सोलह करोड़, पचानवे लाख, छप्पन हजार रुपये, तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
-------------	------------------------

मांग संख्या - 44	1,2,8
मांग संख्या - 47	1,2,5,7,10

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री सत्यदेव कटारे
- (2) श्री रामलखन शर्मा
- (3) श्री गजराज सिंह सिकरवार

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(11) श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछली पालन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 16 मछली पालन के लिए पन्द्रह करोड़, इकतीस लाख, अड़तीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या

कटौती प्रस्ताव क्रमांक

मांग संख्या - 16

2

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
- (2) श्री शंकरलाल तिवारी
- (3) श्री आरिफ अकील

श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछली पालन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006) सदन की अनुमित से पुरःस्थापित किया।

09.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 (चैत्र 1, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.